रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230076
CG-DL-E-30092021-230076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3710] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
No. 3710] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

विषय: भारत में ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)

का.आ. 4044(अ).—

1. परिचय

1.1. ड्रोन अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को व्यापक लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें - कृषि, अवसंरचना, आपातकालीन सहायता, परिवहन, भू-स्थानिक मैपिंग, मीडिया और मनोरंजन, कानून प्रवर्तन और देश की रक्षा आदि, मैपिंग और खतरनाक और बार- बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करके मैंपिंग द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य और इन गतिविधियों को पारदर्शी, कुशल और लागत-प्रभावी (**cost-effective**) विधि से निष्पादित करने में सक्षम बनाना शामिल हैं।

1.2. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को अनुसंधान और विकास, परीक्षण, निर्माण और ड्रोन के संचालन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने ड्रोन हेतु विकास-उन्मुख नियामक फ्रेमवर्क तैयार करने की योजना बनाई है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने दिनांक 25 अगस्त, 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 जारी किये हैं। इन नियमों का स्वागत किया गया है, और इस उच्च संभावनाओं वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हो सकते हैं।

1.3. विकास को अधिक सुलभ बनाने के लिए, सरकार ने भारत में ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई)) योजना को मंजूरी दे दी है।

2. उद्देश्य - इस योजना का उद्देश्य भारत में ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।

3. पात्रता

3.1. भारत में ड्रोन के सभी विनिर्माता, यहां विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन इस योजना के लिए पात्र होंगे।

3.2. निम्नलिखित ड्रोन कलपुर्जों के सभी विनिर्माता, यहां विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन पात्र होंगे:

क) एयरफ्रेम, प्रोपल्शन प्रणाली (इंजन और इलेक्ट्रिक), पावर प्रणाली, बैटरी और संबंधित घटक, लॉन्च और रिकवरी प्रणाली;

ख) इनर्शियल मापन इकाई, इनर्शियल दिक्चालन प्रणाली, उड़ान नियंत्रण मॉड्यूल, भूमि नियंत्रण स्टेशन और संबंधित घटक;

ग) संचार प्रणाली (रेडियो आवृत्ति, ट्रांसपोंडर, उपग्रह आधारित आदि);

घ) कैमरा, सेंसर, छिड़काव प्रणाली और संबंधित पेलोड आदि;

ड.) 'डिटेक्ट एंड अवॉइड' प्रणाली, इमरजेंसी रिकवरी प्रणाली, ट्रैकर्स आदि और संरक्षा और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अन्य घटक।

3.3. केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर पात्र ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों की सूची में संशोधन किया जा सकता है।

3.4. ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के सभी विनिर्माता, जिनका वार्षिक बिक्री टर्नओवर निम्नलिखित सीमा से ऊपर है, वे उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) का दावा करने के लिए पात्र होंगे:

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) दावा करने हेतु न्यूनतम वार्षिक बिक्री टर्नओवर			
भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप		**भारतीय गैर-एमएसएमई**	
ड्रोन (रूपए करोड़)	**कलपुर्जे (रूपए करोड़)**	**ड्रोन (रूपए करोड़)**	**कलपुर्जे (रूपए करोड़)**
2	0.5	4	1

3.5. नए निवेशकों के लिए, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों की बिक्री से वार्षिक बिक्री टर्नओवर, पात्रता मानदंडों के तहत उल्लिखित सीमा से उपर होना चाहिए।

3.6. विनिर्माण का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित है।

3.7. कलपुर्जा विनिर्माताओं को यह स्थापित करना होगा कि जिन ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) का दावा किया जा रहा है, उनका उपयोग केवल ड्रोन के विनिर्माण में किया जाता है।

4. योजना का कार्यकाल

4.1. इस योजना का कार्यकाल वित्तीय वर्ष 2021-22 से आरंभ होकर तीन वर्ष का होगा।

4.2. किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) का दावा और संवितरण आगामी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

4.3. स्वीकृत आवेदक लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए लाभ के लिए पात्र होगा, किन्तु वह वित्तीय वर्ष 2023-24 से आगे के लिए पात्र नहीं होगा।

5. प्रोत्साहन का परिकलन

5.1. पात्र बिक्री टर्नओवर को, विनिर्माता के जीएसटी रिटर्न में उल्लिखित ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों की बिक्री से किसी वित्तीय वर्ष (जीएसटी का निवल) में प्राप्त कुल बिक्री टर्नओवर के रूप में परिभाषित किया गया है।

5.2. पात्र खरीद लागत को, किसी वित्तीय वर्ष में ड्रोन और ड्रोन घटकों की खरीद की कुल लागत (जीएसटी का निवल) के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि ऐसे विनिर्माता के जीएसटी रिटर्न में दर्शाया गया है।

5.3. एक वित्तीय वर्ष में भारत में पात्र मूल्यवर्धन (**value addition)** पात्र बिक्री टर्नओवर माइनस पात्र खरीद लागत होगा जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है।

5.4. अधिक स्पष्टता के लिए, ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के लिए सॉफ्टवेयर के विकासकर्ता भी इस योजना के पात्रता मानदंडों और दिशानिर्देशों के अधीन उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र हैं।

5.5. भारत में पात्र मूल्यवर्धन (**value addition)** पर लागू उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) दर, योजना के पूरे कार्यकाल के लिए 20% होगी।

5.6. ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के विनिर्माता के लिए पात्र उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई), भारत में पात्र मूल्यवर्धन (**value addition)** उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) दर का उत्पाद होगा और सैंपल वर्ष (वित्त वर्ष 2021-22) के लिए उदाहरण को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विनिर्माता के लिए उदाहरण उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) परिकलन (वित्तीय वर्ष 2021-22 का नमूना वर्ष)

दावा वर्ष	**बिक्री - जीएसटी का निवल (रूपए करोड़)**	**क्रय – जीएसटी का निवल (रूपए करोड़)**	**भारत में पात्र मूल्यवर्धन (रूपए करोड़)**	**मूल्यवर्धन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) दर** (%)	**लागू उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) (रूपए करोड़)**
वि.व. 21-22	100	60	40	20%	8

5.7. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब विनिर्माता वित्तीय वर्ष के लिए पात्र बिक्री टर्नओवर के कम से कम 40% पर भारत में पात्र मूल्यवर्धन को प्राप्त करता है।

5.8. यदि कोई विनिर्माता, किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए भारत में पात्र मूल्यवर्धन सीमा को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे उक्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्राप्त नहीं होगा। तथापि, वह आगामी वर्ष में उक्त उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि वह आगामी वर्ष में रुपये के संदर्भ में उक्त कमी को पूरा करे। अधिक स्पष्टता के लिए, यदि किसी विनिर्माता के पास 100 करोड़ रुपये की बिक्री है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 65 करोड़ रुपये की खरीद लागत है, तो मूल्यवर्धन 35 करोड़ रुपये है। मूल्यवर्धन 40 करोड़ रूपए की न्यूनतम आवश्यकता से 5 करोड़ रुपये कम है (अर्थात 100 करोड़ का 40%)। विनिर्माता उक्त वित्तीय वर्ष में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए पात्र नहीं होगा। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में, यदि उसकी पात्र बिक्री और खरीद क्रमशः 200 करोड़ रुपये और 110 करोड़ रुपये है, तो उसका मूल्यवर्धन 90 करोड़ रुपये हो जाता है, जो कि 80 करोड़ रुपये (200 करोड़ रुपये का 40%) की न्यूनतम मूल्यवर्धन की अपेक्षा से अधिक है। ऐसा विनिर्माता उस समय पिछले वर्ष के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) का दावा कर सकता है, क्योंकि उसने पिछले वित्तीय वर्ष के 5 करोड़ रूपए की मूल्यवर्धन कमी को पूरा कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 85 करोड़ रूपए का आवधित मूल्यवर्धन (अर्थात 90 करोड़ रूपए में 5 करोड़ रूपए कम) भी 80 करोड़ रूपए (पात्र बिक्री का 40%) के मूल्यवर्धन सीमा से अधिक है।

6. वित्तीय परिव्यय

6.1. ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 120 करोड़ रुपये (केवल एक सौ बीस करोड़ रुपये) है। तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में अनुमानित भुगतान अनुसूची निम्नानुसार है:

ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) की अनुमानित पेआउट अनुसूची

दावा वर्ष	बिक्री - जीएसटी का निवल (रूपए करोड़)	क्रय – जीएसटी का निवल (रूपए करोड़)	भारत में पात्र मूल्यवर्धन (रूपए करोड़)	मूल्यवर्धन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) दर (%)	लागू उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) (रूपए करोड़)	संवितरण वर्ष
वि.व 21-22	200	120	80	20%	16	वि.व 22-23
वि.व 22-23	400	240	160	20%	32	वि.व 23-24
वि.व 23-24	900	540	360	20%	72	वि.व 24-25
कुल	**1500**	**900**	**600**	**20%**	**120**	

6.2. ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तीन वर्षों के दौरान कुल वित्तीय परिव्यय 120 करोड़ रुपये तक सीमित है। यदि इस योजना के तहत परिकलित प्रोत्साहन भुगतान बजट से अधिक होता है, तो इसे यथानुपात आधार पर कम किया जाएगा।

6.3. योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 120 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर शामिल किया जाएगा।

6.4. कुल उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रति विनिर्माता 30 करोड़ रुपये है जो कि 120 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय का 25% है।

6.5. भारत सरकार की विभिन्न उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत एक विनिर्माता द्वारा यदि कई दावे किए जाते हैं, तो उनपर कानून के तहत लागू कानूनी कार्रवाई के अलावा, ऐसे विनिर्माताओं को अपात्र (disqualify) किया जा सकता है।

7. परियोजना प्रबंधन एजेंसी - इस योजना को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के माध्यम से लागू किया जाएगा। पीएमए सचिवीय, प्रबंधकीय और कार्यान्वयन सहायता प्रदान करेगा और समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। पीएमए की व्यापक जिम्मेदारियों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) आवेदनों का मूल्यांकन और पात्रता का सत्यापन;

ख) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) के संवितरण के लिए पात्र दावों की जांच;

ग) वृद्धिशील निवेश और ड्रोन और ड्रोन घटकों की वृद्धिशील बिक्री और खरीद सहित योजना की प्रगति और प्रदर्शन के संबंध में डेटा का संकलन;

घ) विभिन्न उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के तहत एक ही गतिविधि के कारण लेखांकन नीति में किसी भी बदलाव या लाभों के दोहराव (duplication) से उत्पन्न होने वाले किसी भी अपयोजन (diversion) को रोकने के लिए।

8. लेखापरीक्षा - इस योजना में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक बाहरी लेखापरीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट या कॉस्ट एकाउंटेंट) द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान होगा।

9. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) का अनुमोदन और संवितरण

9.1 योजना के तहत आवेदन भारत में पंजीकृत किसी भी कंपनी द्वारा किया जा सकता है, जो ड्रोन और ड्रोन कलपुर्जों का विनिर्माण कर रही है।

9.2 सभी आवेदन पीएमए द्वारा अनुरक्षित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। यदि पोर्टल उपलब्ध नहीं है, तो आवेदन पीएमए को भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

9.3 आवेदक द्वारा प्रोत्साहन के संवितरण हेतु दावा वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर वार्षिक आधार पर दायर किया जाएगा, जिससे दावा संबंधित है।

10. उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की मॉनीटरिंग – दिनांक 11 नवंबर, 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा यथाअनुमोदित, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का शक्तिप्रदत्त समूह (दिनांक 10 जून, 2020 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा गठित) उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की निगरानी करेगा और समय-समय पर समीक्षा करेगा। योजना के तहत व्यय, सभी पीएलआई योजनाओं की एकरूपता सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करें कि व्यय निर्धारित परिव्यय के भीतर है। इसके अलावा, उपर उल्लिखित योजना के तौर-तरीकों में कोई भी बदलाव इस शर्त के अधीन है कि कुल वित्तीय परिव्यय 120 करोड़ रूपए की निर्दिष्ट सीमा के भीतर रहता है, सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के विचार के लिए रखा जाएगा।

11. योजना के लिए दिशानिर्देश - योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। योजना के साथ दिशानिर्देशों को पढ़ा जाए। योजना और दिशानिर्देशों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, योजना के प्रावधान मान्य होंगे।

[फा.सं. एवी-29017/37/2021-एसडीआईटी-एमओसीए]

अम्बर दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

Subject: Production Linked Incentive (PLI) scheme for drones and drone components in India

S.O. 4044(E). —

1. Introduction

1.1. Drones offer tremendous benefits to almost every sector of the economy, including but not limited to, agriculture, infrastructure, emergency response, transportation, geospatial mapping, media and entertainment, law enforcement and national defence etc. mapping and scientific research by automating dangerous and repetitive tasks and enabling these activities to be performed in a transparent, efficient and cost-effective manner.

1.2. In order to make India a global hub for the research and development, testing, manufacturing and operation of drones under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the Central Government plans to create a growth-oriented regulatory framework for drones. Accordingly it released the liberalised Drone Rules, 2021 on 25th August 2021. The rules have been well received and may lead to significant growth in this high potential sector.

1.3. In order to facilitate further growth, the Government has approved the Production Linked Incentive (PLI) scheme for drones and drone components in India ('the scheme').

2. Objective - The objective of this scheme is to incentivise manufacturing of drones and drone components in India so as to make them self-sustaining and globally competitive.

3. Eligibility

3.1. All manufacturers of drones in India shall be eligible for this scheme subject to compliance with other requirements specified herein.

3.2. All manufacturers of the following drone components shall be eligible, subject to compliance with other requirements specified herein:

a) Airframe, propulsion systems (engine and electric), power systems, batteries and associated components, launch and recovery systems;
b) Inertial Measurement Unit, Inertial Navigation System, flight control module, ground control station and associated components;
c) Communications systems (radio frequency, transponders, satellite-based etc.);
d) Cameras, sensors, spraying systems and related payload etc.;
e) 'Detect and Avoid' system, emergency recovery system, trackers etc. and other components critical for safety and security.

3.3. The list of eligible drones and drone components may be modified by the Central Government from time to time.

3.4. All manufacturers of drones and drone components whose annual sales turnover is above the following threshold shall be eligible for claiming PLI:

Minimum annual sales turnover for claiming PLI			
Indian MSME and startups		**Indian Non-MSME**	
Drone (INR Cr)	**Component (INR Cr)**	**Drone (INR Cr)**	**Component (INR Cr)**
2	0.5	4	1

3.5. For new investors, the annual sales turnover from sale of drones and drone components should be above the threshold mentioned under the eligibility norms.

3.6. Manufacturing shall have the same meaning as defined in the Central Goods and Services Tax Act, 2017.

3.7. Component manufacturers shall have to establish that the drone components for which PLI is being claimed is used solely in the manufacturing of a drone.

4. Tenure of the scheme

4.1. The tenure of this scheme shall be three years starting from the financial year 2021-22.

4.2. The PLI for a particular financial year will be claimed and disbursed in the subsequent financial year.

4.3. An approved applicant shall be eligible for benefits for three consecutive financial years but not beyond financial year 2023-24.

5. Computation of the incentive

5.1. Eligible sales turnover is defined as the total sales turnover achieved in a financial year (net of GST) from the sale of drones and drone components as stated in such manufacturer's GST returns.

5.2. Eligible purchase cost is defined as the total cost (net of GST) incurred in a financial year for purchase of drones and drone components as stated in such manufacturer's GST returns.

5.3. Eligible value addition in India in a financial year shall be eligible sales turnover minus the eligible purchase cost as defined above.

5.4. For ample clarity, developers of software for drones and drone components are also eligible for the PLI, subject to the eligibility norms and guidelines of this scheme.

5.5. The PLI rate applicable to the eligible value addition in India shall be 20% for the entire tenure of the scheme.

5.6. The eligible PLI for a manufacturer of drones and drone components shall be the product of the eligible value addition in India and the PLI rate as illustrated in the following table for a sample year (FY 2021-22):

Illustrative PLI calculation for a manufacturer (for sample year FY 2021-22)					
Claim year	**Sales - Net of GST (INR cr)**	**Purchase - Net of GST (INR cr)**	**Eligible value addition in India (INR cr)**	**PLI rate for value addition (%)**	**Applicable PLI (INR cr)**
FY 21-22	100	60	40	20%	8

5.7. The PLI shall be provided only if the manufacturer achieves an eligible value addition in India of at least 40% of the eligible sales turnover for the financial year.

5.8. In case a manufacturer fails to meet the threshold for the eligible value addition in India for a particular financial year, he shall not receive any PLI for the said financial year. He will however be eligible to receive the said PLI in the subsequent year subject to him making up the said shortfall in rupee terms in the subsequent year. For ample clarity, if a manufacturer has a sale of INR 100 crore and a purchase cost of INR 65 crore in say, FY 2021-22, the value addition is INR 35 crore. The value addition is INR 5 crore less than the minimum requirement of INR 40 crore (i.e. 40% of 100 crore). Such manufacturer shall not be eligible for PLI in the said financial year. In the next financial year 2022-23, if his eligible sales and purchases are INR 200 crore and INR 110 crore respectively, his value addition works out to INR 90 crore, which is more than the minimum value addition requirement of INR 80 crore (i.e. 40% of INR 200 crore). Such manufacturer may then claim PLI for the previous year, since he has covered up the value addition shortfall of INR 5 crore of the previous financial year and his reduced value addition of INR 85 crore (i.e. INR 90 crore less INR 5 crore) for FY 2022-23 is also above the value addition threshold of INR 80 crore (i.e. 40% of the eligible sales).

6. Financial outlay

6.1. The total financial outlay of the PLI scheme for drones and drone components is INR 120 crore (Rupees one hundred and twenty crore only). The estimated payout schedule over a period of three financial years is as estimated below:

Estimated payout schedule of PLI for drones and drone components						
Claim year	**Sales - Net of GST (INR cr)**	**Purchase - Net of GST (INR cr)**	**Eligible value addition in India (INR cr)**	**PLI rate for value addition (%)**	**Applicable PLI (INR cr)**	**Disburse-ment year**
FY 21-22	200	120	80	20%	16	FY 22-23
FY 22-23	400	240	160	20%	32	FY 23-24
FY 23-24	900	540	360	20%	72	FY 24-25
TOTAL	**1500**	**900**	**600**	**20%**	**120**	

6.2. The total financial outlay during three years of the PLI scheme for drones and drone components is capped at INR 120 crore. In case the calculated incentive payout under this scheme exceeds the budget, it will be reduced on pro-rata basis.

6.3. The administrative expenses for the scheme will be absorbed within the overall limit of INR 120 crore.

6.4. Total PLI per manufacturer is capped at INR 30 crores which is 25% of the total financial outlay of INR 120 crores.

6.5. Multiple claims by a manufacturer under different PLI schemes of Government of India may lead to disqualification of such manufacturer, in addition to legal action as applicable under the law.

7. Project Management Agency - The scheme would be implemented through a Project Management Agency (PMA) appointed by the Ministry of Civil Aviation. The PMA would provide secretarial, managerial and implementation support and carry out other responsibilities, as assigned by the Ministry of Civil Aviation from time to time. The broad responsibilities of PMA would, inter alia, include the following:

a) Appraisal of applications and verification of eligibility;
b) Examination of claims eligible for disbursement of PLI;
c) Compilation of data regarding progress and performance of the scheme, including incremental investment and incremental sales and purchase of drones and drone components;
d) To keep a check on any diversions arising out of any change in accounting policy or duplication of benefits on account of the same activity under different PLI schemes.

8. Audit - The scheme shall have provision for audit by an external auditor (Chartered Accountant or Cost Accountant) appointed by Ministry of Civil Aviation.

9. Approval and disbursement of PLI

9.1. Application under the scheme can be made by any company registered in India, engaged in the manufacturing of drones and drone components.

9.2. All applications will be submitted through an online portal maintained by the PMA. In case the portal is not available, applications may be submitted in physical form to the PMA.

9.3. Claim for disbursement of incentive shall be filed on an annual basis by the applicant within six months from the end of the financial year to which the claim pertains.

10. Monitoring of the PLI scheme - As approved by the Cabinet on 11th November 2020, the Empowered Group of Secretaries chaired by Cabinet Secretary (constituted by the Cabinet vide Gazette notification dated 10th June 2020) will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, ensure uniformity of all PLI schemes and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, any changes required in the modalities of the scheme mentioned above subject to the condition that the total financial outlay remains within the specified limit of INR 120 crore, will be placed for consideration of the Empowered Group of Secretaries.

11. Guidelines to the scheme - For the effective implementation of the scheme, the detailed guidelines shall be notified separately. The guidelines are to be read along with the scheme. In case of any inconsistency between the scheme and the guidelines, the provisions of the scheme shall prevail.

F. No. AV-29017/37/2021-SDIT-MoCA]
AMBER DUBEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.30 20:42:02 +05'30'